न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

RCMS No.—2019/00019

पंचायत निगरानी संख्या: 03A/2019

कैलाश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसहाय शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत मानसर खेडी, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर।
2. नाथू लाल मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा, निवासी ग्राम मानसर खेडी, ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...गैर निगरानीकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राज. पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत मानसर खेडी, जारी पट्‌टा संख्या 24 दिनांक 24.04.2006 बहक नाथूलाल।

उपस्थित:–

1. श्री एस.एल. वाडिया अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 25.07.2019

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी विरूद्व दिनांक 24.04.2006 को नाथूलाल मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा निवासी ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी के हक में जारी पट्‌टा संख्या 24 से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.01.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षी जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार संख्या एक एवं दो अनुपस्थित। ग्राम पंचायत मानसर खेडी द्वारा निगरानीधीन पट्‌टा पत्रावली अप्राप्त है। वकील पक्षकारान की सहमति पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा दौराने बहस निगरानी में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया गया कि ग्राम पंचायत मानसर खेडी द्वारा निगरानीधीन पट्‌टा संख्या 24 जारी दिनांक 24.04.2006 विधि विरूद्व, आवंटन नियमों की पालना बगैर जारी किया गया है। पट्‌टे में वर्णित भूखण्ड पर पट्‌टा जारी होने की दिनांक से पूर्व गैर निगरानीकार संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा जबकि उक्त भूखण्ड पर निगरानीकार का कब्जा अर्शे कदीम से चला आ रहा है। निगरानीकार का निगरानीधीन भूखण्ड पर बाडा बना हुआ है एवं निगरानीकार द्वारा उक्त भूमि पर मवेशियो का बांधने, चारा डालने के लिए मकान बना रखे है। गैर निगरानीकार संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत से साज कर निगरानीधीन पट्‌टा जारी करवा लिया एवं उक्त भूखण्ड पर गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा कब्जा करने का प्रयास भी किया गया है। ग्राम पंचायत मानसर खेडी द्वारा उक्त पट्‌टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज नियमों की प्रकिया का कतई पालन नहीं किया। निगरानीधीन पट्‌टे पर न ही मिसल संख्या अंकित है ना ही बुक नंबर अंकित है एवं नक्शा भी मौके के विपरीत है। आबादी भूमि विक्रय के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा न ही कोई आपत्ति नोटिस जारी किया गया एवं पट्‌टा आवेदन हेतु निगरानीकार द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर निगरानीकार के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त पट्‌टा पत्रावली ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध है एवं तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मानसर खेडी फर्जी पट्‌टे जारी करने के संबंध में जेल भी जा

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

चुका है। निगरानीधीन पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता को गैर निगरानीकार संख्यां 2 द्वारा भूखण्ड पर कब्जा करने की ऐलानिया धमकी देने पर हुई जिस पर ग्राम पंचायत में पता करने पर निगरानीकर्ता को उक्त पट्टे की जानकारी हुई एवं अविलम्ब न्यायालय हाजा में निगरानी पेश की गई। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में आदेश दिनांक 24.04.2006 द्वारा जारी पट्टा संख्या 24 को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील निगरानीकार की बहस पर मनन किया गया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। निगरानीधीन पट्टा आवंटन पत्रावली अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है निगरानीधीन पट्टे पर ग्राम पंचायत की पत्रावली संख्या का उल्लेख नहीं है एवं ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव लिया जाना भी जाहिर नहीं होता है। प्रकरण में तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मानसर खेडी के विरूद्व अवैध पट्टे जारी करने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बस्सी में दर्ज होकर मामला बस्सी न्यायालय में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत मानसर खेडी द्वारा प्रकरण में कोई जवाब/साक्ष्य पेश नहीं किया गया एवं ग्राम पंचायत की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 2 नाथू लाल मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा निवासी ग्राम पंचायत मानसर खेडी के हक में आदेश दिनांक 24.04.2006 द्वारा जारी पट्टा संख्या 24 निरस्त किया जाता है। साथ ही पत्रावली ग्राम पंचायत, मानसर खेडी, पंचायत समिति बस्सी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाती है कि उभय पक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई की जाकर मौके का निरीक्षण किया जाकर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम व नियमों के अर्न्तगत विधिसम्मत निर्णय लेवे। अधीनस्थ ग्राम पंचायत मानसर खेडी को मुताबिक निर्णय कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर